नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 26/18 वाद पत्र

उनवान

1—मांगू पिता गोकल जाति कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर
2—लादूलाल पिता मांगू जाति कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर
3—पहलवान पिता मोहनलाल जाति बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
4—गोपाल पिता मोहनलाल जाति बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद —
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 30/01/2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी संख्या 3 व 4 के पिता मोहनलाल पिता चतरभुज बडवा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की साबिक आराजी संख्या 149/8 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 165/8 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा आराजी संख्या 164/7 रकबा 5 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 तक वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त साबिक आराजियात खातेदार मोहनलाल की मृत्यु उपरान्त विरासत से वादी पहलवान, गोपाल व रामी के नाम दर्ज रिकार्ड हुई जिसका अंकन जमाबन्दी में किया गया तत्पश्चात रामी बैवा मोहनलाल ने उक्त सम्पुर्ण आराजियात मे से अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी मांगू को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 06/11/1990 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया तथा खातेदार वादी पहलवान ने साबिक आराजी संख्या 167/7 रकबा 5 बीघा में से अपना 1/3 हिस्सा वादी लादुलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 06/11/1990 को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसके नामान्तरण उनके नाम पर दर्ज रिकार्ड हुये तब से ही वादी मांगू व लादूलाल अपने खरीद शुदा रकबे की भूमि पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। भू—प्रबन्ध के दौरान ग्राम सगरेव का नवीन भू—प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 149 रकबा 2 बिस्सा, 165/8 रकबा 4 बीघा 18 बिस्सा के नवीन नम्बर 532 रकबा 0.20 हैक्ट. व 533 रकबा 0.26 हैक्ट. ही कायम किये गये तथा साबिक आराजी संख्या 165/7 रकबा 5 बीघा के नवीन नम्बर भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में इन्द्राज नहीं किये गये एवं कमी रकबे का अलग से छुटे हुये खाते में इन्द्राज कर दिया तथा मूल साबिक नम्बर 165/7 के 5 बीघा रकबे को मूल आराजी संख्या 164 व 165 मीन में समायोजित करते हुए बिलानाम दर्ज कर दिया तथा वादीगण के 10 बीघा रकबे के 0.35 हैक्ट. रकबे को ही उनके नाम पर दर्ज रखा उक्त इन्द्राज करने का भू—प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई विधिक आदेश नही था वादीगण अपने नाम खातेदारी हक उक्त रकबे को कराने के अधिकारी है साथ इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

साबिक आराजी संख्या 165/8, 165/7 जो मूल आराजी संख्या 165 मीन के बटा नम्बर है जिसके नवीन नम्बर 631, 632, 633 व अन्य नम्बर कायम हुये है जिसका मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है उक्त नवीन नम्बर में से वादी मांगू व लादूलाल अपना खरीद शुदा रकबा जो पूर्व खातेदार रामी व पहलवान से क्रय किया जिसका सम्पूर्ण रकबा 1.08 हैक्ट. बनता है जिसे अपने नाम पर कराने के अधिकारी है व शेष रकबा वादी पहलवान व गोपाल अपने नाम पर कराने अधिकारी है वर्तमान में केवल मात्र 0.35 हैक्ट भूमि ही वादीगण के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है जिसके इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री कराये जाना है व उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाना आवश्यक है। वादीगण कई मर्तबा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिये राजस्व अभियान में भी कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जिससे विवश होकर वादीगण ने आवश्यक रिकार्ड 23/04/2018 को तहसील रायपुर से प्राप्त किया और यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। बिनाय वाद दिनांक 23/04/2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वादपत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या भूधारी होकर राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा बिलानाम दर्ज हो जाने से प्रभावित पक्षकार है जिसे प्रतिवादी बनाये गये हैं।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 4/5/2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी उपस्थित है । प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया । जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार बिन्दु संख्या 1 एवं 2 राजस्व रेकार्ड के आधार पर स्वीकार किया हैं। बिन्दु संख्या 3 का जवाब यह हैं कि बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित कृषि भूमि बन्दोबस्त से पूर्व वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। जिसका रकबा 10 बीघा होकर रूपान्तरण से 2.16 हैक्ट. दर्ज किया जाना चाहिए था । जिसको केवल रकबा 0.35 हैक्ट. (आ.न. 532 रकबा 0.20 हैक्ट, 532/4571 रकबा 0.15 हैक्ट.) ही खातेदारी में दर्ज किया गया। इस प्रकार 1.81 हैक्ट. रकबा कमी कर गत बिलानाम आराजी नम्बर 164, 165, के सम्मिलित करते हुए नवीन आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, 632 रकबा 0.32 हैक्ट, 631 रकबा 0.80 हैक्ट. बनाकर बिलानाम दर्ज किया गया । जिस पर वादीगणों का कब्जा हैं। इस प्रकार इन आराजियात को बिलानाम दर्ज किया गया हैं। वह रकबा संयुक्त रूप से वादी गणों के नाम पूर्व में दर्ज हिस्से अनुसार रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित हैं । चूंकि वादीगणों के नाम दर्ज रकबा 0.35 हैक्ट, एवं आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, 631 रकबा 0.80 हैक्ट, 632 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है. को सम्मिलित करते हुए भी कुल रकबा 1.82 हैक्ट ही बनता हैं। शेष 0.34 हैक्ट, रकबे की पूर्ति किये जाना सम्भव नहीं हैं। क्योंकि गत मुकाबले जो वर्तमान नक्शा बनाया गया उक्त रकबे को अन्य खातेदारान की भूमि में सम्मिलित कर दिया गया हैं। हाल आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, 631 रकबा 0.80 हैक्ट, 632 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्ट, को बिलानाम से वादीगणों के नाम एवं वादीगणों के नाम रकबा 0.35 हैक्ट, को सम्मिलित करते हुए 1.82 हैक्ट, क्षैत्रफल में वादीसंख्या 1 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा बाद संशोधन आदेश के रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित हैं। बिन्दु संख्या 4 का जवाब राजस्व रेकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वाद अनुसार ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हाल आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, आराजी संख्या 631 रकबा 0.80 हैक्ट, आराजी संख्या 632 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्ट को बिलानाम से वादीगणों के नाम एवं वादीगणों के नाम दर्ज रकबा 0.35 हैक्ट को सम्मिलित करते हुए कुल रकबा 1.82 हैक्ट. में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर

उन्हें हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित हैं। अतः

आदेश

ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हाल आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, आराजी संख्या 631 रकबा 0.80 हैक्ट, आराजी संख्या 632 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्ट, को बिलानाम से वादीगणों के नाम एवं वादीगणों के नाम दर्ज रकबा 0.35 हैक्ट को सम्मिलित करते हुए कुल रकबा 1.82 हैक्ट में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उन्हें हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीटासीन अधिकारीः–गोविन्द सिंह आर.ए.एस
मुकदमा नम्बरः–26/2018 वाद पत्र

उनवान

1–मांगू पिता गोकल जाति कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर
2–लादूलाल पिता मांगू जाति कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर
3–पहलवान पिता मोहनलाल जाति बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर
4–गोपाल पिता मोहनलाल जाति बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर

वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हाल आराजी नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्ट, आराजी संख्या 631 रकबा 0.80 हैक्ट, आराजी संख्या 632 रकबा 0.32 हैक्ट, कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हैक्ट, को बिलानाम से वादीगणों के नाम एवं वादीगणों के नाम दर्ज रकबा 0.35 हैक्ट को सम्मिलित करते हुए कुल रकबा 1.82 हैक्ट में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर उन्हें हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 30.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा